

आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

पत्रांक:-

प्रेषक,

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

-सह-

जिला पदाधिकारी, बांका

विषय: पंचायत आम निर्वाचन, 2021- नाम निर्देशन पत्र एवं संलग्न प्रपत्र का Digitization नहीं किए जाने के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक-1432/पं दिनांक-12.09.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बांका जिला के निर्वाची पदाधिकारी (पं०) सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी धौरैया द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के प्रथम चरण में विभिन्न पदों के लिए प्राप्त नाम निर्देशन प्रपत्रों में से सभी नाम निर्देशन प्रपत्रों को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, जो संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कर्तव्यहीनता का परिचायक है। इस संबंध में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आयोग को प्रेषित किया जाए कि उनके द्वारा कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाए।

आपके अनुरोध पर विचार करते हुए धौरैया प्रखण्ड के लिए शेष बचे नाम निर्देशन पत्रों को Digitise करने हेतु Link खोला जा रहा है। परन्तु निर्वाचन के शेष चरणों में इस तरह की लापरवाही किसी अन्य निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाए, इस हेतु अपने स्तर से सभी को निदेशित किया जाए एवं अपने स्तर से इनकी सतत पर्यवेक्षण किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को आयोग के वेबसाइट पर शेष बचे नाम निर्देशन पत्रों को Digitise करने हेतु Link खोलने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- निर्वाचन स्थापना एवं समन्वयक, Performance Appraisal Cell, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव

ज्ञापांक-

3869

पटना, दिनांक

13.9.21

प्रतिलिपि- सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ। अनुरोध है कि प्रत्येक चरण में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों का सतत पर्यवेक्षण किया जाए ताकि किसी भी चरण में इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो।

सचिव